

न्यूज टुडे

अधिकरणों में रिक्तियों को समय पर नहीं भरने के कारण उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की कटु आलोचना की है

○ उच्चतम न्यायालय ने देश में अधिकरणों की कार्यप्रणाली से संबद्ध निम्नलिखित मुद्दों को रेखांकित किया है:

- **नियुक्तियों पर:** अधिकरणों में नियुक्तियों डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं और वाद एक वर्ष तक के समय के लिए स्थगित किए जा रहे हैं।
- **असंवैधानिक कानून:** न्यायालय ने इस तथ्य को भी रेखांकित किया है कि सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए अधिकरण सुधार अधिनियम (Tribunal Reforms Act), 2021 में कई ऐसे प्रावधान शामिल किए हैं, जिन्हें कई निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त किया जा चुका है।
- वर्ष 2021 के अधिनियम ने नौ प्रमुख अधिकरणों को समाप्त कर दिया है। इसने प्रमुख अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्तियों, सेवा शर्तों, वेतन आदि के संबंध में सरकार को व्यापक प्राधिकार प्रदान कर न्यायिक स्वतंत्रता के समक्ष खतरा उत्पन्न कर दिया है।

○ अधिकरण के बारे में— ये एक अर्ध-न्यायिक संस्थान हैं, जो प्रशासनिक विवादों को हल करने और पारंपरिक न्यायपालिका के कार्य भार को कम करने जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए स्थापित किए जाते हैं।

- अधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। उन्हें 42वें संशोधन संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत,

○ **सम्बंधित तथ्य**

- उच्चतम न्यायालय ने सरकार को माल एवं सेवा कर (GST) अपीलीय अधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया है। ज्ञातव्य है कि इसका गठन वर्ष 2016 में केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम (धारा 109) पारित होने के चार वर्ष उपरांत भी नहीं हुआ है।

➤ अनुच्छेद 323-A प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है।

➤ अनुच्छेद 323-B अन्य मामलों के लिए अधिकरणों से संबंधित है।

➤ अधिकरणों में कुछ मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित होती हैं।

केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष दिसंबर माह अंत तक किसानों के डेटाबेस को 5.5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया जाएगा

○ कृषि को डिजिटल प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा ज्ञान से जोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस निर्मित किया गया है।

- इस डेटाबेस को राज्यों की सहायता से दिसंबर 2021 तक 5.5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया जाएगा। इसे राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटा (जैसा कि कर्नाटक द्वारा किया गया है) से संबद्ध करने की अनुमति भी प्रदान की जाएगी।

- पी.एम.-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी मौजूदा योजनाओं से डेटा प्राप्त करके एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस निर्मित किया जा रहा है।

○ यह डेटाबेस एग्री-स्टैक के प्रमुख भाग के रूप में कार्य करेगा, जो कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों का एक संग्रह है। यह उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर नवोन्मेषी कृषि-केंद्रित समाधान निर्मित करने के लिए संचयी किसान डेटाबेस का उपयोग कृषि में सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा बाह्य स्रोतों जैसे मौसम की जानकारी आदि का उपयोग शामिल है।

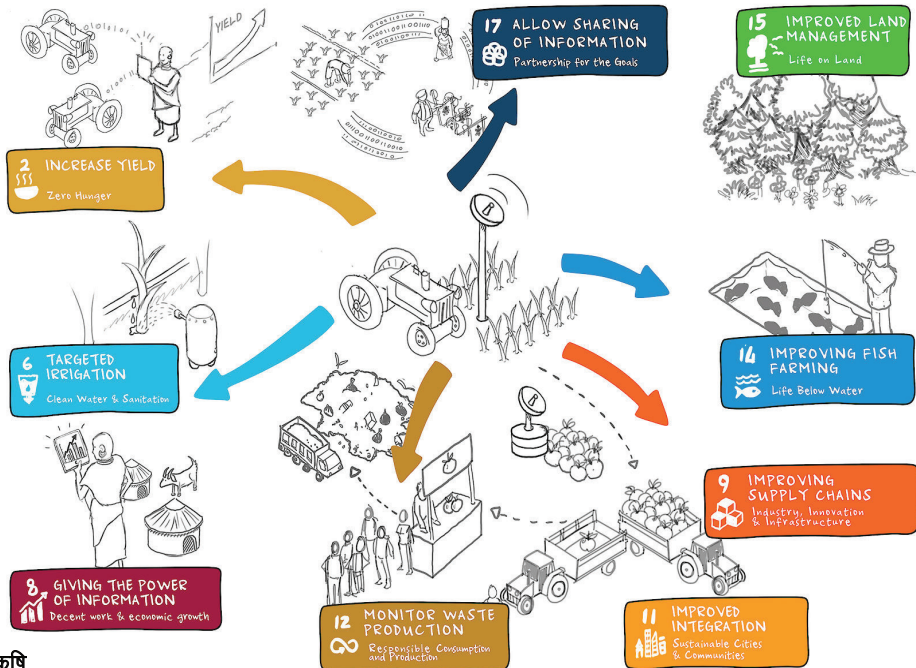
○ डिजिटल कृषि की दिशा में किए गए अन्य उपाय

- **IndEA डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (IDEA):** यह कृषि दक्षता तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु एक राष्ट्रीय डिजिटल कृषि पारितंत्र है।

- इसमें राष्ट्रीय डिजिटल कृषि मिशन (National Mission on Digital Agriculture: NMDA) के मार्गदर्शन हेतु बहु-हितधारक IDEA सलाहकार परिषद तथा प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट किसान पहचान-पत्र (Unique Farmer ID: UFID) प्रदान करना आदि शामिल हैं।

- कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना।

- एकीकृत किसान सेवा मंच।

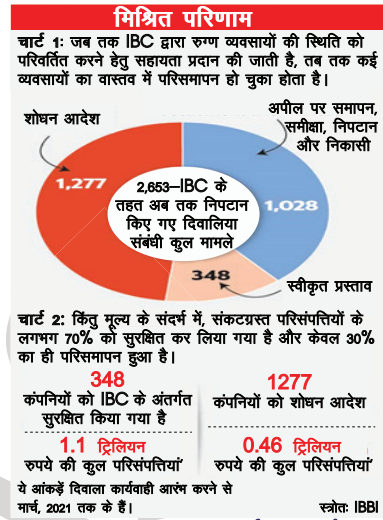


○ **सम्बंधित तथ्य**

- वित्त वर्ष 2019-20 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़ों (कोविड -19 संकट के आरंभिक 3 महीनों तक अर्थात् जून 2020 तक) ने एक विपरीत प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है।
- कृषि क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। यह वर्ष 2018-19 के 18.6% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 22.8% (लगभग 2011-12 के 22.5% के स्तर के बराबर) हो गई है।

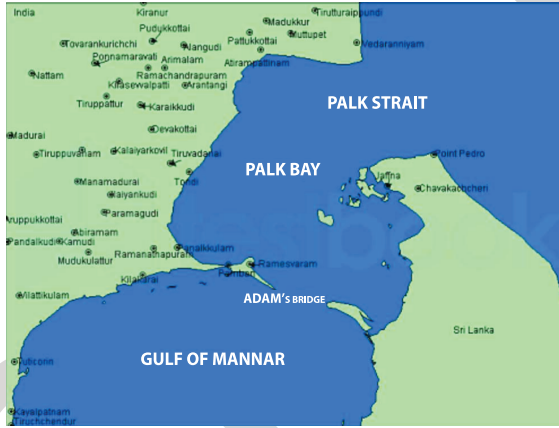
सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत लेनदारों की समिति (Committee of Creditors: CoC) के लिए नई आचार संहिता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है

- यह प्रस्ताव एक संसदीय समिति ने "वर्षों से लेनदारों द्वारा अनुपातहीन रूप से लिए गए अत्यधिक और अस्थिर 'हेयर कट' को लेकर आपत्ति प्रकट करने के पश्चात् प्रस्तुत किया है।"
 - एक हेयरकट, एक ऋण के लिए संपादिक के रूप में उपयोग की जा रही संपत्ति पर निर्धारित बाजार मूल्य से कम मूल्य को संदर्भित करता है।
 - CoC के लिए आचार संहिता CoC की पारदर्शी और निष्पक्ष कार्यप्रणाली को बढ़ावा देगी। साथ ही, उन्हें IBC, 2016 के तहत समाधान प्रक्रिया के प्रति अधिक जवाबदेह भी बनाएगी।
- एक CoC असंबद्ध वित्तीय लेनदारों की अनुपस्थिति में कॉरपोरेट देनदारों या परिचालनरत लेनदारों के वित्तीय लेनदारों से निर्मित होती है।
 - यह कॉरपोरेट देनदार के लिए मतदान हिस्सेदारी के 66% मत द्वारा समाधान योजना को स्वीकृति प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि कॉरपोरेट देनदार के लिए समयबद्ध और सफल समाधान हेतु इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC), 2016 के बारे में:
 - दिवाला संहिता, दिवाला समाधान के लिए एकल-बिंदु समाधान (one stop solution) प्रक्रिया प्रदान करती है। इसका उद्देश्य छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना और व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
 - IBC, कंपनियों और व्यक्तियों के मध्य दिवाला समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है।
 - हालांकि, इस संहिता का परिणाम मिश्रित रहा है (इन्फोग्राफिक देखें)।



भारत का प्रथम डुगोंग (Dugong) संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा

- हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के प्रथम संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है।
 - डुगोंग को विभिन्न खतरों, यथा— पर्यावास क्षति, मत्स्यन जाल में फंसना, मांस और तेल के लिए शिकार इत्यादि का सामना करना पड़ रहा है।
- डुगोंग के बारे में
 - डुगोंग को समुद्री गाय (sea cows) के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है और डुगोंगिडे कुल (family Dugongidae) का एकमात्र सदस्य है। यह इसे साइरेनिया जीववैज्ञानिक क्रम (Order Sirenia) {अन्य ट्रिचेकिडाए (Trichechidae) या मैनाटी कुल (manatee family)} में चार जीवित प्रजातियों में से एक बनाता है।
 - इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में भी सूचीबद्ध है। ज्ञातव्य है कि यह वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) के परिशिष्ट I में भी शामिल है। डुगोंग मुख्य रूप से उथले जलीय-क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि वे मुख्य रूप से समुद्री घास पर जीवित रहते हैं।
 - डुगोंग समूहों में रहते हैं और श्वसन हेतु सतह पर आते हैं। इनमें डॉल्फिन की पूंछ सदृश्य पूंछ होती है। इनमें स्तन ग्रंथियाँ (Mammary glands) भी होती हैं।
 - डुगोंग का जीवनकाल 70 वर्ष या उससे अधिक होता है। मादा डुगोंग प्रत्येक 2.5 से 7 वर्ष (6 से 17 वर्ष तक) में प्रजनन करती है। इनमें 13 से 15 महीने की गर्भधारण अवधि और लगभग 18 महीने की पोषण अवधि (Nursing Period) होती है।
 - डुगोंग की निकटतम संबंधी स्टेल्स समुद्री गाय, शिकार के कारण अठारहवीं शताब्दी में ही विलुप्त हो गई थी।



मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के महत्व को रेखांकित करने के लिए एक बैठक आयोजित की है

- 5 वर्षों के अंतराल के उपरांत आयोजित इस बैठक में, विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के महत्व को रेखांकित किया गया है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 9800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ यह पैकेज घोषित किया गया है। इससे आगामी 5 वर्षों में 54,618 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होने की अपेक्षा की जा रही है।
 - इसके अतिरिक्त, इस अवसर पर बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी (Basic Animal Husbandry Statistics)— 2020 जारी की गई। इसमें दूध, अंडे, मांस और ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन संबंधी अनुमान प्रदान करने वाले सारणीबद्ध डेटा सेट्स को शामिल किया गया है।
 - राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
 - राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्देश्य पशुपालकों और किसानों के पोषण स्तर को बढ़ाने एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए पशुधन क्षेत्र का विकास करना है।
- पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी योजनाएं
 - राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): इसके द्वारा नस्ल सुधार गतिविधियों को समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
 - राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम: इसका उद्देश्य दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा संगठित दुग्ध खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ाना है।
 - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तहत डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष, पूंजीगत दबाव से ग्रस्त दुग्ध सहकारी समितियों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
 - राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम: इसके तहत मुंहपका-खुरपका रोग (Foot-Mouth Disease: FMD) एवं ब्रुसेल्लोसिस को वर्ष 2025 तक टीकाकरण के माध्यम से नियंत्रित करने तथा वर्ष 2030 तक इसका उन्मूलन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- पशुधन क्षेत्र से संबंधित प्रमुख आंकड़े
 - वित्त वर्ष 2019-20 में सकल मूल्य वर्धित (GVA) कृषि क्षेत्र का लगभग 28 प्रतिशत और कुल सकल मूल्य वर्धित का 5 प्रतिशत है।
 - इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

○ संरक्षण के प्रयास

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) तथा प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण (CMS) द्वारा डुगोंग और उनके अधिवासों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया है।
 - » भारत ने वर्ष 2008 में इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसके लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र के 8 देशों के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility: GEF) और UNEP द्वारा "डुगोंग एवं समुद्री घास संरक्षण परियोजना" का संचालन किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि भारत इस परियोजना में शामिल नहीं है।

अन्य सुर्खियाँ

 भोगदोई नदी	- नागालैंड में कोयला खनन, अतिक्रमण और चाय बागानों से निकलने वाले अपशिष्ट के कारण अंतर्राज्यीय भोगदोई नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। - भोगदोई नदी, ब्रह्मपुत्र की उसके दक्षिणी तट पर एक सहायक नदी है। इसका उद्गम नागालैंड की उत्तरी पहाड़ियों में मोकोकचुंग से होता है। यह घनसिरी नदी में मिलने से पूर्व जोरहाट से होकर प्रवाहित होती है। - भोगदोई नदी असम की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। - ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियाँ हैं— लोहित, दिबांग, दिहांग, मानस आदि।
 समुद्री सिवार की कृषि (Seaweed Farming)	- हाल ही में, लक्षद्वीप प्रशासन ने अपने नौ अधिवासित द्वीपों में सीवीड फार्मिंग इकाइयों को आरंभ किया है। - सीवीड (समुद्री सिवार) असंख्य समुद्री पादपों और शैवालों का एक सामान्य नाम है जो महासागरों के उथले जल के साथ-साथ नदियों, झीलों एवं अन्य जल निकायों में उत्पन्न होते हैं। - ये भूरे समुद्री सिवार, लाल समुद्री सिवार और हरे समुद्री सिवार जैसे विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं। ये खाद्य और औद्योगिक उपयोगों जैसी बुनियादी उपयोगिताओं में उच्च क्षमता वाले उत्कृष्ट पोषक तत्व शोधक के रूप में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं। - उदाहरणार्थ औषधि, सौंदर्य प्रसाधन और न्यूट्रास्यूटिकल्स (चिकित्सकीय/स्वास्थ्य लाभ युक्त खाद्य उत्पाद)। - भारत ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2025 तक 11.5 लाख टन समुद्री शैवाल का उत्पादन करने की योजना निर्मित की है।
 भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान	- जर्मनी की सरकारी एजेंसी GIZ द्वारा ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के मैंग्रोव और जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। ध्यातव्य है कि भीतरकनिका भारत का दूसरा सर्वाधिक विशाल मैंग्रोव वन है। - यह पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मनी के संघीय मंत्रालय (BMU) की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल (International Climate Initiative: IKI) द्वारा समर्थित है। - परियोजना का उद्देश्य आजीविका उन्मुख संरक्षण और पुनरुद्धार गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहयोग करना है। साथ ही, वैकल्पिक सतत आजीविका के क्षेत्र में समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षित करना है। - भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, एक रामसर स्थल है। यह ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, धामरा नदी और महानदी नदी तंत्रों के ज्वारनदमुख में स्थित है।
 पराग कैलेंडर (Pollen Calendar)	- सामुदायिक चिकित्सा विभाग और जन स्वास्थ्य विद्यालय, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (PGIMER), चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ शहर के लिए प्रथम पराग कैलेंडर विकसित किया है। - पराग कणों को मनुष्यों में अस्थमा, अटॉपिक डर्मेटाइटिस आदि के लिए जिम्मेदार प्रमुख बाह्य वायुजनित एलर्जेन माना जाता है। - पराग एक महीने पीले रंग का पाउडर होता है, जो वायु, पक्षियों, कीटों या अन्य प्राणियों द्वारा पौधों से पौधों तक पहुँचाया जाता है। - पराग कैलेंडर एलर्जी उत्पन्न करने वाले संभावित कारकों की पहचान कर सकते हैं। साथ ही, इनके द्वारा चिकित्सकों के साथ-साथ एलर्जी पीड़ितों को एक स्पष्ट समझ प्रदान की जा सकती है।
 मांडा भैंस (Manda Buffalo)	- हाल ही में, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (National Bureau of Animal Genetic Resources: NBAGR) ने मांडा भैंस को भारत में भैंस की 19वीं विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता प्रदान की है। - पूर्वी घाट व ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र के पठार पर पाई जाने वाली मांडा भैंस परजीवी संक्रमण के प्रतिरोध के साथ रोगों के प्रति कम सुनेद्य होती है। - कोरापुट, मलकानगिरी और नबरंगपुर जिलों के लोगों द्वारा इनका उपयोग जुताई के लिए किया जाता है। - इस नई मान्यता से मांडा भैंस के संरक्षण एवं विकास में केंद्र तथा राज्य सरकार से उच्च उत्पादकता हेतु और सहायता प्राप्त होगी।
 अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने के लिए उपकरण	- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सूक्ष्मजीवों की कृषि के लिए एक मॉड्यूलर व स्वतः पूर्ण (self-contained) उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने में सक्षम बना सकता है। - इसके द्वारा जीवाणु वृद्धि की निगरानी करने के लिए एल.ई.डी. और फोटोडायोड सेंसर संयोजन का उपयोग किया जाएगा। - यह अन्य जीवों जैसे कि कृमियों और गैर-जैविक प्रयोगों के अध्ययन के लिए अनुकूलित है। - मानव अंतरिक्ष मिशन जैसे 'गगनयान' के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सहायक है।

 'हाईसीन' ग्रह (Hycean planets)	○ शोधकर्ताओं के अनुसार, प्रमुख हाइसीन बहिर्ग्रहों पर पार-ग्रहीय जीवन संभव हो सकता है। ○ वृहद महासागरों और हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण के साथ हाइसीन ग्रह पृथ्वी से 2.6 गुना बड़े होते हैं। ➤ हाइसीन ग्रह पृथ्वी के समान चट्टानी नहीं हैं। ➤ वे सर्वत्र मिली वे आकाशगंगा में अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में प्रतीत होते हैं।
 सुर्खियों में रहे स्थल	○ यूनान (Greece) ➤ दक्षिणी यूरोप में अत्यधिक हीट वेव्स की घटनाओं और यूनान सहित संपूर्ण क्षेत्र में वनाग्नि के पश्चात्, यूनान ने एक जलवायु संकट मंत्रालय (Climate Crisis Ministry) गठित करने का निर्णय किया है। ➤ स्थिति— यूनान (राजधानी: एथेंस) बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। इसमें 1,400 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसकी स्थलीय सीमाएं अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की के साथ लगती हैं। ➤ प्रमुख जल निकाय: एजियन सागर, आयोनियन सागर, क्रेते सागर, लीबिया सागर और भूमध्य सागर मुख्य जल निकाय हैं। इसकी समुद्री सीमा साइप्रस, मिस्र, इटली और लीबिया से संलग्न है।  ○ सिंगापुर (Singapore) ➤ हाल ही में, सिंगापुर ने सार्वजनिक क्षेत्रों में गश्त करने और पाकों व बगीचों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने में सहायता के लिए रोबोट का उपयोग करने का परीक्षण आरंभ किया। ➤ स्थिति— सिंगापुर (राजधानी: सिंगापुर) दक्षिण पूर्व एशिया में मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे के तट पर स्थित एक छोटा द्वीपीय राष्ट्र है। यह हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य अवस्थित है। ➤ प्रमुख जल निकाय: भूमध्य रेखा से केवल 1 डिग्री ऊपर, जोहोर जलडमरूमध्य और सिंगापुर जलडमरूमध्य इसके मुख्य जल निकाय हैं। ➤ इसकी समुद्री सीमाएं पूर्व में दक्षिण चीन सागर, पश्चिम में मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण में रियाउ द्वीप समूह से संलग्न हैं। 

त्रुटिसुधार— 2 सितंबर 2021 को, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में, 50% के सकल नामांकन अनुपात (GER) के लक्ष्य को वर्ष 2035 की बजाय त्रुटिवश वर्ष 2030 कर दिया गया था।



8468022022, 9019066066



www.visionias.in



/c/VisionIASdelhi



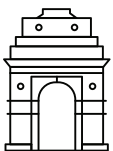
/Vision_IAS



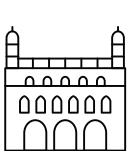
/visionias_upsc



/VisionIAS_UPSC



दिल्ली



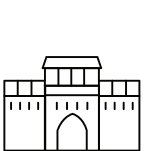
लखनऊ



जयपुर



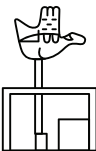
हैदराबाद



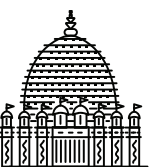
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी